अतिक्रमण या सेवा ?

गीतम तिवारी

सड़क पर माल बेचने वालों को अक्सर सड़क पर गैरकानूनी कब्ज़ा जमाने वालों के रूप में ही देखा जाता है। ट्राफिक व यातायात नियोजक भी आम तौर पर इन्हें पैदल व मोटरचालित वाहनों के सड़कों पर मुक्त संचार की राह में अनावश्यक बाधा मानते हैं। इसलिए आए दिन इन्हें सड़कों से हटाने अथवा कहीं और ले जाने की मुहिम छेड़ी जाती है। ऐसे निर्णय वही अधिकारी लेते हैं जो इन विक्रेताओं की सेवाओं का उपभोग नहीं करते। वैसे तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन भागीदारी की बात हम ढोल पीटकर करते हैं (जो आजकल एक फैशन भी बन गया है) किन्तु इससे प्रभावित लोगों को इस प्रक्रिया से दूर ही रखा जाता है।

यहां हम चर्चा करेंगे कि हमारे विविधतापूर्ण सामाजिक ढांचे में सड़क पर माल बेचने वालों की सेवाएं किस प्रकार अपरिहार्य हैं। एक बार हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि समाज के लिए ये सेवाएं आवश्यक हैं, तो सड़कों के विकास की योजना बनाते समय इनके लिए स्थान निश्चित करने की बात सम्भव हो सकती है। ऐसी योजनाओं से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ये कर्मठ विक्रेता भी अपना धंधा सुचारू रूप से कर सकें और पैदल चलने वालों को भी आवागमन में असुविधा न हो।

सबसे पहले हम शहरों पर पड़ रहे जनसंख्या के दबाव की ओर ध्यान देते हैं। हमारी कुल आबादी का केवल 25.72 प्रतिशत हिस्सा शहरों में रहता है। इस दृष्टि से भारत को शहरीकृत देश की श्रेणी में नहीं रख सकते। किन्तु भारत की कुल शहरी आबादी और इसके विकास में आ रही समस्याओं को देखते हुए इसे अति शहरीकृत दर्जा दिया जा सकता है। 1901 से '91 के बीच शहरी आबादी नौ गुना बढ़ी है किन्तु शहरों की संख्या केवल दुगुनी ही हुई है। प्रथम श्रेणी के शहरों की आबादी में 26 से 65 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इससे प्रतीत होता है कि जनसंख्या का पलायन बड़े शहरों में ही अधिक हुआ है। शहरी आबादी का 51 प्रतिशत भाग केवल प्रथम श्रेणी के 23 शहरों में बसता है। इन सभी शहरों की आबादी दस लाख से ज़्यादा है। द्वितीय व तृतीय श्रेणी के शहरों की जनसंख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जबकि चौथी, पांचवीं व छठी श्रेणी के शहरों की जनसंख्या में गिरावट आई है। यानी बड़े शहरों की ओर पलायन केवल गांवों से ही नहीं बल्कि छोटे शहरों से भी हो रहा है। ऐसा आर्थिक गतिविधियों के असमान वितरण व मुख्यतः बड़े शहरों के इर्दगिर्द केन्द्रीकृत होने से हुआ है।

बड़े शहरों का विस्तार जनसंख्या के साथ-साथ स्थान की दृष्टि से भी हुआ है। ये शहर अपनी सीमाएं पार कर चुके हैं। कई शहरों में एक से अधिक नगर परिषदें हैं। पिछले दो दशकों में देश के चार प्रमुख महानगरों का विस्तार अभूतपूर्व रहा है। इन शहरों का पुराना हिस्सा बहुत ही घना बसा है। वहां पुराने मकान व संकरी गलियां हैं तथा ज़मीन का उपयोग सुनियोजित नहीं है। फिर इन शहरों का अनियोजित व अवैध विस्तार है (मुख्यतः शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख महामार्गों के दोनों ओर और राजमार्गों के आसपास) जो नगरपालिका की सीमाएं लांघ गया है। इन शहरों की विस्तारित बस्तियों में दो प्रकार

1901 से '91 के बीच शहरी आबादी नौ गुना बढ़ी है किन्तु शहरों की संख्या केवल दुगुनी ही हुई है। प्रथम श्रेणी के शहरों की आबादी में 26 से 65 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इससे प्रतीत होता है कि जनसंख्या का पलायन बड़े शहरों में ही अधिक हुआ है। शहरी आबादी का 51 प्रतिशत भाग केवल प्रथम श्रेणी के 23 शहरों में बसता है। इन सभी शहरों की आबादी दस लाख से ज़्यादा है। द्वितीय व तृतीय श्रेणी के शहरों की जनसंख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जबकि चौथी, पांचवीं व छठी श्रेणी के शहरों की जनसंख्या में गिरावट आई है। यानी बड़े शहरों की ओर पलायन केवल गांवों से ही नहीं बल्कि छोटे शहरों से भी हो रहा है।